

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन

अनुदान संख्या-83 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक-4515007890500-24

सेवा में,

1-जिला पंचायत राज अधिकारी,
जनपद कौशाम्बी, अम्बेडकरनगर, मुरादाबाद, सम्भल, कांसगंज, ललितपुर, बाँदा, देवरिया,
कुशीनगर, हरदोई, खीरी, उन्नाव, मिर्जापुर, बहराइच, श्रावस्ती, इटावा, औरैया, मैनपुरी, हाथरस,
एटा, महोबा, तथा महाराजगंज।

2-जिला पंचायत राज अधिकारी (मु0)/आहरण वितरण अधिकारी,
पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।

संख्या: 1/शा0/60/2015-1/126/2015 लखनऊ: दिनांक जुलाई, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 (स्पेशल कम्पेनेन्ट सब प्लान) आयोजनागत
मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में
सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स निर्माण के अन्तर्गत धनराशि का
आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-26/2015/1761
/33-3-2015- 100(11)/2014टीसी दिनांक 06 जुलाई, 2015 द्वारा अनुदान संख्या-83
आयोजनागत मद में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं
के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत
प्राविधानित धनराशि रू0-15000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से उक्त सदमित शासनादेश
दिनांक 06.07.2015 के साथ संलग्न फॉट के कालम संख्या 8, 15, 17 में इंगित कुल धनराशि रू0
5350.017 लाख की धनराशि संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के
आहरण/व्यय/वितरण हेतु (परिशिष्ट-01) व कालम संख्या 10 में इंगित कुल रू0 9.9830 लाख
की धनराशि निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय हेतु (परिशिष्ट-02) इस प्रकार
कुल रू0 5360.00 लाख (रूपया तिरपन करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि संलग्न सूची के
अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैं:-

- 1- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग समाज कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर इस
संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इतर
व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
- 3- आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2015-16 की अवधि में कार्यदायी
विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपयोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा
तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-2/2015
/बी0-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30.03.2015 एव डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम
विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का
अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- उपरोक्तानुसार आवंटित की जा रही धनराशि जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित
कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगे। सम्बन्धित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपोजिट
खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना
पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य
प्राप्तियों-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति
लेखाशीर्षक"0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य प्राप्तियों-02-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली"
में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा।
- 5- उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र
किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और
वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति
के बिना व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली

6- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या- 83 के लेखाशीर्षक "4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग की व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

7- आवंटित की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

8- सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

9- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

10- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण तिथि, बाउचर संख्या, आहरण की धनराशि सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0-4 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय उपलब्ध कराया जाय। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11- आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात् अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

12- किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के लिये संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।


13- धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में यदि कोई समर्पण हो तो उसकी सूचना निदेशालय को दिनांक 10-03-2016 तक अनिवार्य रूप से भेजी जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-106 पर अंकित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,


(उदयवीर सिंह यादव)


निदेशक,

पंचायती राज, उ0प्र0।

संख्या:1/शा0/60/1/2015 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, इलाहाबाद-211001.
- 2- प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
- 5- उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 6- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित उपनिदेशक मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
- 10- उपनिदेशक (प0), पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
- 11- एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


(महेन्द्र नारायण)

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-09/07/2015

प्रेषण संख्या:- I-sha-60-2015-1-126-2015
 आवंटन आदेश संख्या:- 005-126-2015
 अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)
 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
 05 - समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0


(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	मैनपुरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 26949720 26949720	26949720 26949720
2	एटा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 13973930 13973930	13973930 13973930
3	मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 7985100 7985100	7985100 7985100
4	इटावा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 21959020 21959020	21959020 21959020
5	बांदा -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 23955300 23955300	23955300 23955300
6	मिर्जापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 33936670 33936670	33936670 33936670
7	देवरिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 19962750 19962750	19962750 19962750
8	उन्नाव-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 62882660 62882660	62882660 62882660
9	हरदोई-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 36931090 36931090	36931090 36931090
10	लखीमपुर खीरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 53899420 53899420	53899420 53899420
11	बहराइच-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 8983240 8983240	8983240 8983240
12	ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 23955300 23955300	23955300 23955300
13	महाराजगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 6986960 6986960	6986960 6986960

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
14	महोबा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	23955300 23955300	23955300 23955300
15	कशीनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	33936670 33936670	33936670 33936670
16	अम्बेदकर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	16968340 16968340	16968340 16968340
17	हाथरस-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	21959030 21959030	21959030 21959030
18	औरैया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	26949720 26949720	26949720 26949720
19	कौशाम्बी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	48908740 48908740	48908740 48908740
20	श्रावस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	10979510 10979510	10979510 10979510
21	कांसगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	6986960 6986960	6986960 6986960
22	सम्बल-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1996270 1996270	1996270 1996270
	योग	वर्तमान प्रगामी	535001700 535001700	535001700 535001700

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तिरेपन करोड़ पचास लाख एक हजार सात सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तिरेपन करोड़ पचास लाख एक हजार सात सौ


 (महेन्द्र नारायण)
 मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी